"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 58] रायपुर, सोमवार, दिनांक 27 फरवरी 2017— फाल्गुन 8 , शक 1938

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 23 फरवरी 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-08/2017/वा.क.(पं.)/पांच (07). — रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (क्र. 16 सन् 1908) की धारा 5 तथा 7 के अनुसरण में राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 06-75/2016/वा.क.(पं.)/पांच (01), दिनांक 20 जनवरी, 2017 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में :-

बिंदु क्र. - 3 में उल्लेखित कथन निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

3. और यह निर्देश देती है कि खण्ड (1) तथा (2) के अधीन उप-जिले का बनाया जाना तथा पथरिया उप रजिस्ट्रार कार्यालय का स्थापित किया जाना तारीख 1 अप्रैल, 2017 को तथा से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 23 फरवरी 2017

क्रमांक एफ 10-08/2017/वा.क.(पं.)/पांच (07). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-08/2017/वा.क.(पं.)/पांच (07), दिनांक 23-02-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 23rd February 2017

NOTIFICATION

No. F 10-08/2017/CT(R)/V (07).— In pursuance of Section 5 and 7 of the Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908) the State Government hereby, makes the following further amendment in this department's notification No. F 06-75/2016/CT(R)/V (01), dated 20-01-2017, namely :-

AMENDMENT

In the said notification :-

Statement of point 3 shall be substituted by the followings :-

3. Directs that the formation of the sub-district and the establishment of the office of Sub Registrar Office, under clauses 1 and 2 shall take effect on and from 1 April, 2017.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.